

04/04/24

प्रावली पेश हुई। अपीलान्त अधिवक्ता उपस्थित
अपीलान्त अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रावली
पर No-Instruction किया। न्यायलय सभ्य
में अपीलान्त को रोक रोककर तीन बार
आवाज लगाई लेकिन अपीलान्त की फोरम
कोई उपस्थित नहीं आया, अतः अपीलान्त की
अपील No-Instruction होने से खारिज की
जाती है। प्रावली पैराल शुमार होकर
दाखिल दफतरी संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बी. चौहान



No-Instruction
D. N. y
Adv